Title: Discussion on the Vice-President's Pension (Amendment) Bill, 1999. (Passed)

1509 hours

MR. CHAIRMAN: Now, Shri L.K. Advani will move that the Bill to amend the Vice-President's Pension Act, 1977 be taken into consideration.

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि उप-राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, १९९७ में संशोधन करने वाले

विधेयक पर विचार किया जाये।'

सभापति महोदय, यह छोटा विधेयक है, कुल दो कलॉजेज हैं और एक प्रकार से पहले-पहले जब १९९७ में पेंशन की व्यवस्था की गई थी तो सदन की चर्चा में से ही कुछ सुझाव उभरे थे, जिन्हें इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है। उप-राष्ट्रपति जी को १९९७ तक पेंशन नहीं मिलती थी और उप-राष्ट्रपति जी क्योंकि संविधान के अनुसार पदेन राज्य सभा के सभापति हैं, इसलिए उन्हें जो सैलरी प्राप्त होती थी, वह पार्लियामेंट के ऑफिसर के नाते प्राप्त होती थी।

सभापति महोदय, १९९७ में ऐसे अनुभव हुए कि सरकार को इसमें परिवर्तन करना चाहिए और एक पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। १९९७ में वाइस प्रेसीडेंट पेंशन एक्ट बना। चर्चा के समय यह कहा गया कि जो इसमें सुविधाएं दी गई हैं वे उपराष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुरूप नहीं हैं और उसमें कहीं पर यह भी उल्लेख था कि उनको जो मकान रिटायरमेंट के बाद दिया जाए, वह डिप्टी मिनिस्टर के बराबर दिया जाए, इत्यादि-इत्यादि।

महोदय, आज जो विधेयक मैं सरकार की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें इन बातों की व्यवस्था की जा रही है। साथ-साथ इस बात की भी व्यवस्था की जा रही है चूंकि १९९८ में राष्ट्रपति की सैलरी ४० हजार रुपए प्रति मास कर दी गई इसलिए रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन २० हजार रुपए प्रति माह होगी। ये व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं। इसके साथ-साथ कुछ और छोटी-छोटी व्यवस्थाएं की गई हैं जैसे प्रति वर्ष ऑफिस खर्च के लिए रु.६००० की जगह रु.१२००० होगा। रिटायरमेंट के बाद उनकी धर्मपत्नी या कोई अन्य व्यक्ति जिस प्रकार की व्यवस्था सांसदों के लिए की गई है कि

spouse or any person,

वैसी कुछ व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं और उसके कारण जो क्लॉज २ है, उसमें मूल अधिनियम का खंड ३ संशोधित किया गया है। कुल मिलाकर सार इतना ही है और अगर सदन इसको सर्वसम्मति से पास करे, तो आगे बढ़ेंगे।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, as the principal Opposition party, we would like to address through you to the hon. Minister -- the House will agree -- that the position of the Vice-President stands in such a dignified manner in the entire framework of the Constitution that this particular Bill should not be discussed and debated. It should be passed straightaway.

">श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं आपका आभारी हूं।

">

">MR. CHAIRMAN : The question is:

">"That the Bill to amend the Vice-President's Pension Act, 1997, be taken into consideration."

">The motion was adopted.

">-------

">MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

">The question is:

">"That clause 2 stand part of the Bill."

">The motion was adopted.

">Clause 2 was added to the Bill.

">Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

">--------

">SHRI L.K. Advani: I beg to move:

">"That the Bill be passed."

">MR. CHAIRMAN: The question is:

">"That the Bill be passed."

">The motion was adopted.

">-------- <